Title: Regarding problems being faced by sugarcane and Potato growers in the country.

कुंवर अखिलेश सिंह : माननीय सभापति महोदय, गन्ना किसानों, आलू किसानों, धान और गेहूं किसानों के प्रकरण पर इस सदन में एक बार नहीं, कई बार चर्चाएं कराई गई और इस चर्चा के बाद जब सरकार की तरफ से माननीय मंत्रीगण ने उत्तर दिए तो उनके पश्चात् उनका अनुपालन नहीं किया गया। इसी सदन के अंदर आदरणीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री श्री शरद यादव बैठे हुए हैं।â€¦ (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Shri Akhilesh Singh, you have given a notice regarding service conditions of the promotee Assistant Engineers.

कुंवर अखिलेश सिंह : यह जीरो आवर का नोटिस है और मैंने गन्ना किसानों के बारे में कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है, मैं उसपर बोल रहा हूं।â€¦ (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : That is over.

कुंवर अखिलेश सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय नेâ€¦ (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I thought that you are going to speak on the subject of notice which is given for 'Zero Hour'. You cannot raise any other matter.

कुंवर अखिलेश सिंह : जब मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया थाâ€¦ (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You cannot raise any other matter than the one mentioned in the list.

कुंवर अखिलेश सिंह : जब हमने ऐडजर्नमैंट मोशन का नोटिस दिया था तो स्पीकर साहब ने अपनी सीट से परमीशन दी थी कि आपको जीरो आवर में बोलने का मौका दिया जाएगा। आप कार्यवाही उठाकर देख लीजिए।â€¦ (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: No. I have been given the list by the hon. Speaker.

कुंवर अखिलेश सिंह : एक बार नहीं कई बार गन्ना किसानों के सवाल पर चर्चा हुई। इस सदन के अंदर श्री शरद यादव ने, जब मुंडेरवा में तीन किसान मारे गए तो राज्य सरकार के बयान के आधार पर जो बयान दिया, उसमें एक किसान के मरने की बात कही गई और उसी दिन शाम को सदन के अंदर हमने प्रमाणित कर दिया कि मुंडेरवा में एक नहीं, तीन किसान मारे गए हैं और राज्य सरकार ने गलत बयानी की। परन्तु सदन ने राज्य सरकार की गलत बयानी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जिससे राज्य सरकार का मनोबल लगातार बढ़ता गया। राज्य सरकार का मनोबल इतना बढ़ गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय, इलाहाबाद की आड़ में राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के चीनी मिल मालिकों का पक्ष लेते हुए यह कह दिया कि राज्य को गन्ने का मूल्य निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं है। यह सदन परम्पराओं के आधार पर चलता है। अब तक यह परम्परा रही है कि राज्य सरकार जो मूल्य निर्धारित करती रही है, उन मूल्यों को ही चीनी मिल मालिक देते रहे हैं। गत वर्ा भी उत्तर प्रदेश में चीनी मिल मालिकों ने किसानों को उसी मूल्य को देने का कार्य किया और गत वर्ा उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को 95 रुपये और 100 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का मूल्य मिला था।

यह बात मैं इसलिए आपके संज्ञान में रखना चाहता हूं कि अभी इस समस्या के निराकरण के लिए प्रधान मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री साहिबा को दिल्ली में तलब किया तो उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री ने कहा कि अगर राज्य को अधिकार दे दिया जाए, हमको अधिकार दे दिया जाए तो हम चीनी मिल मालिकों को नाच नचा देने का काम करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश शुगर केन परचेज एक्ट के अन्तर्गत राज्य सरकार को अधिकार है कि जो निर्धारित मूल्य है, वह निर्धारित मूल्य 14 दिन के अंदर चीनी मिल मालिकों से किसानों को अदा करवाएं। यदि 14 दिन के अंदर चीनी मिल मालिकों से अदा नहीं करवाती हैं तो उत्तर प्रदेश शुगर केन परचेज एक्ट के अनुसार उन्हें बकाया पर ब्याज देना होगा और तीस दिन के अंदर गन्ना किसानों की अदायगी नहीं होती है तो चीनी मिल मालिकों के खिलाफ रिक वरी सर्टिफिकेट जारी होगा। यह बात खाद्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि राज्य सरकार इस एक्ट के अंदर प्रभावी कार्रवाई करे।â€¦ (व्यवधान)तो किसानो को बहुत हद तक लाभ दिलाकर चीनी मिल मालिकों के मनमानेपन पर अंकुश लगा सकती है ।

MR. CHAIRMAN : Hon. Minister, if you want to respond, you can respond.

कुंवर अखिलेश सिंह : अभी मैंने बात ही नहीं रखी।

MR. CHAIRMAN: There are 15 notices.

कुंवर अखिलेश सिंह : यह देश के 80 प्रतिशत लोगों का मामला है। अगर इसको दो मिनट में आप हल करना चाहते हैं तो कैसे होगा।â€¦ (व्यवधान)मैंने इसीलिए कहा कि आप मुझे कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में मौका दें।â€¦ (व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : अन्य सदस्यों ने भी नोटिस दिया है। हमारा भी नोटिस है।â€¦ (व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : अगर कांग्रेस के लोग इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो मैं चला जाता हूं। रमेश चेन्नितला जैसे वरिठ सदस्य सहयोग नहीं कर रहे हैं।â€¦ (व्यवधान)

सरदार सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर) : हमें भी मौका दिया जाए।â€¦ (व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : आप पहले बोल लें। मैंने तो कहा था कि मैं अंतिम वक्ता के रूप में बोल लूंगा।â€¦ (व्यवधान)

SHRI RAMESH CHENNITHALA : There are other Members also who want to speak. ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: You finish it.

SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): I am supporting you on the issue of farmers. ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Kunwar Akhilesh, you address the Chair.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: You try to finish it.

...(*Interruptions*)

कुंवर अखिलेश सिंह : मुझे यह कहते हुए कट हो रहा है कि किसानों के मामले में यह सदन गंभीर नहीं है और आज किसानों का आक्रोश चरम सीमा तक पहुंच चुका है। कल किसानों ने विजय चौक पर प्रधान मंत्री जी का पुतला तक जलाया। किसानों ने गन्ना जलाने का काम किया और वे आलू को जलाने का काम कर रहे हैं। किसानों के अंदर आक्रोश है। आप इसे समझने की कोशिश करें। अगर इस आक्रोश को ठीक से समझने की आप कोशिश नहीं करेंगे तो किसान आंदोलन, उग्रवाद की तरफ बढ़ेगा और इससे देश में एक नयी समस्या खड़ी हो जाएगी। आज किसानों का शोाण हो रहा है। किसानों को इस शोाण से मुक्ति दिलानी होगी।

अभी मैं आपके संज्ञान में सर्वोच्च न्यायालय के 31.1.2001 के आदेश का उल्लेख करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों के साथ कितनी धोखाधड़ी की है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ कितनी धोखाधड़ी की है, यह तथ्य भी आपके सामने रखना चाहता हूं। 31-1-2001 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जो समझौता मूल्य होगा, वह मूल्य ही लागू होगा लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश को उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा उच्च न्यायालय में छिपाया गया और उच्च न्यायालय के विरुद्ध अभी 28-02-2003 को सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की सरकार और चीनी मिल मालिकों के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया। मैं खाद्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का यदि आप अनुपालन करा दें तो उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को 95 रुपया और सौ रुपया क्विंटल कम से कम गत वर्ा के बराबर गन्ने का मूल्य मिल जाएगा। इस आदेश के अंदर यह भी है कि अगर एक गन्ना समिति के अंदर दो चीनी मिलें हैं और एक चीनी मिल ज्यादा दाम दे रही है तो दूसरी चीनी मिल कम दाम नहीं दे सकती। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज का उदाहरण देना चाहता हूं।â€¦ (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: The Minister is here. You can respond.

कुंवर अखिलेश सिंह : हमारे यहां सिसवा की चीनी मिल हैं और सरकारी चीनी मिलें हैं और गरोड़ो की चीनी मिल निजी क्षेत्र की मिल हैं। निश्चित रूप से सिसवा की चीनी मिल किसानों को 95 रुपया और सौ रुपया क्विंटल दे रही हैं और गरौड़ा की चीनी मिल किसानों को 82.50 रुपया क्विंटल दे रही है जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक गरौड़ा की चीनी मिल को भी किसानों को 95 रुपया और सौ रुपया देना चाहिए। अभी परसों हमारे क्षेत्र के किसानों ने तथा महिलाओं ने मोहनापुर गांव के सेन्दुरिया चौराहे पर बड़ी तादाद में रास्ता जाम किया तो वहां के प्रशासनिक अधिकारियों ने महिलाओं के बाल पकड़कर उनको घसीटने का काम किया, पीटने का काम किया। आज किसानों की जो दुर्दशा हो रही है, â€¦ (व्यवधान) सरकार उस पर गम्भीर नहीं है यदि किसान घर की महिलाओं को पुलिस व प्रशासन द्वारा बेहरमी से पीटा जाएगा तो आक्रोश भडकेगा ।

MR. CHAIRMAN: Kunwar Akhilesh, you have raised it. Let him respond. Hon. Minister, you can respond.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Do you want the response of the Minister?

कुंवर अखिलेश सिंह : आलू के सवाल पर इसी सदन में कृाि मंत्री जी ने कहा था कि आलू की सरकारी खरीद होगी लेकिन अभी तक आलू की खरीद नहीं हो रही है। आगरा में कई परिवार आत्महत्या कर चुके हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि किसान की जो स्थिति है, इस स्थिति से किसानों को बचाने के लिए सरकार पहल करे।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : सभापति जी, माननीय अखिलेश सिंह जी ने जो सवाल उठाया है, उस पर कई बार इस सदन में चर्चा हो चुकी है। भारत सरकार की तरफ से एम.एस.पी. पांच रुपए बढ़ाया गया है। हमने ट्रांसपोर्ट का जो इंटरनल फ्रेट रेट है, वह भी दिया है। कल ही हम लोग रिलीज मेकेनिज्म लाए है। हमारे हाथ में जो एस.डी.एफ. है, उसमें 1100 करोड़ रुपए का लक्ष्य है, जिसमें से 676 करोड़ रुपए किसानों को लिए ही एलाट किए गए हैं। इस तरह से हमने कई कदम इस सम्बन्ध में उठाये हैं। प्रधान मंत्री जी ने भी इस सम्बन्ध में तीन बार मीटिंग बुलाई है और वे भी इसमें उपस्थित रहे हैं। इस समस्या के साथ सदन और सरकार भी जूझती रही है। अखिलेश सिंह जी ने जो मामला उठाया है, उसमें एम.एस.पी. भारत सरकार देती है। परम्परा रही है कि सूबाई सरकारें घोाणा करती हैं। पिछले साल गन्ने का प्रति क्विंटल मूल्य 95 रुपए निर्धारित किया गया था। इस साल भी घोाित हुआ था। अखिलेश सिंह जी जिस आदेश का जिक्र कर रहे थे, मैं चाहूंगा कि वह मुझे अभी दे दें। मैं उसको एक्जामिन कराऊंगा और उससे जो मदद मिल सकती है, वह हम करेंगे।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) **:** सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं है, महाराट्र में भी गन्ना किसानों को 540 रुपए प्रति टन मिल रहे हैं। मंत्री जी उत्तर प्रदेश के साथ-साथ महाराट्र का भी जिक्र करें।

MR. CHAIRMAN : This is not the way. Please sit down. He has already spoken on that. No.

श्री शरद यादव : सभापति जी, महाराट्र का सवाल उठाया गया है। जो बफर स्टाक बनाया गया हैâ€¦ (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : What is this? No. There was not even a quorum when the issue of farmers was discussed here. I was present there, and I was participating. Now, you talk about the farmers' issue. When the farmers issue was discussed in this House, the whole House was not packed.

श्री शरद यादव : सभापति जी, आप ठीक कह रहे हैं। जाधव जी ने जो मामला उठाया है, मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि हमने 20 लाख मीट्रिक टन बफर स्टाक बनाया है। उसमें हमने बफर स्टाक को आधार बनाया है। सबसे ज्यादा किसानों को फायदा आपके सूबे में होगा। भारत सरकार की पालिसी है, वह पूरे देश के गन्ना किसानों की समस्या के ऊपर केन्द्रित है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक नई समस्या पैदा हो गई है। देश में दो सूबे ऐसे हैं जहां 80 प्रतिशत चीनी बनती है। एक उत्तर प्र देश है और दूसरा महाराट्र है। उत्तर प्रदेश में यह संकट पैदा हुआ है कि वहां परम्परा रही है कि केन्द्र सरकार जो स्टेचुटरी प्राइस तय करती थी, वह कम से कम होता था, उसके बाद राज्य सरकारें उसको बढ़ाने का काम भी करती थी, वहां 95 रुपए एम.एस.पी. पिछले साल मिल रहा था, लेकिन उस पर डैडलाक हुआ और लोग हाई कोर्ट में जाकर स्टे ले आए। समस्या से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और अन्य मंत्री भी यहां आए थे। केन्द्र की तरफ से उप प्रधान मंत्री जी, अजित सिंह

जी और मैं उस मीटिंग में शामिल हुए थे। उस मीटिंग में इस गम्भीर मामले पर विचार हुआ था। उस मीटिंग में मुख्य मुद्दा यह था कि जो अंतर है, उसको कौन पूरा करे। सरकार के सामने यही मुख्य संकट है। या तो राज्य सरकार पूरा करे या चीनी मिलें पूरा करे या भारत सरकार पूरा करे। हमने उत्तर प्रदेश की निजी चीनी मिलों के मालिकों को यहां बुलाकर बातचीत की और कहा कि आप कोई रास्ता निकाल कर लाएं। इस बार मूल्य नहीं बढ़ाया गया, सिर्फ यह घोाणा हुई है कि पिछले साल की जगह 100 रुपए दिया जाए। वहां की कोआपरेटिव और दूसरी मिलें यह दे रही हैं। हमने उनसे कहा है कि बातचीत करके हमें बताने का काम करें कि कैसे रास्ता निकाल सकते हैं। इस मामले में हमसे जो भी बन पड़ा, वह हमने पूरा किया है। एस.डी.एम. में 1300 करोड़ रुपए हैं। 1100 करोड़ रुपए की उद्योग को राहत दी जा चुकी है। उद्योग की जब बात उठती है तो उसमें किसान भी आता है, उपभोक्ता भी आता है और इंडस्ट्री भी आती है। ये तीनों एक साथ मिले हुए हैं और हम तीनों को बचाना चाहते हैं। ग्रामीण इलाके का यह काफी बड़ा उद्योग है, इसी इलाके के किसान खुशहाल हैं।

यदि उनकी माली हालत किसी इलाके में ठीक है तो इसी इलाके में ठीक है। देश भर के किसानों की हालत ठीक बने, इस मंशा से हम कोशिश कर रहे हैं और अभी वार्ता जारी है, रास्ता निकालने की कोशिश में हम लगे हुए हैं। माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, उससे मैं अपनी सहमति व्यक्त करता हूं। सुप्रीम-कोर्ट के किसी जजमेंट का उन्होंने हवाला दिया है, मैं उसको एग्जामिन करुंगा और इसके सहारे मामला बन सके तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करुंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।